खंड - IX : सामान्य

1. जाचं/चलन समिति का कोई भी सदस्य संहिता में संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए सक्षम है । तत्कालीन निर्णायक मंडल यह निर्णय लेगा कि क्या ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए लेकिन इस तरह प्रस्तावित परिवर्तन को तब तक संहिता में समाविष्ट नहीं किया जा सकता है, जब तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहमति नहीं मिलती तथा यह इस संबंध में उपयुक्त पत्राचार जारी होने की तारीख से लागू होगा ।
2. पुरस्कार के लिए आवश्यक धन तथा इस पर होने वाले सभी व्यय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक व्यय शीर्ष से उपलब्ध कराया जाएगा ।
3. पुरस्कार के लिए सचिवालयीय सहायता पी.सी.आर. डेस्क, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर नामित एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी ।

12/-